न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बांरा राज0

पीठासीन अधिकारीः— दीनानाथ बब्बल आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 26/14

निर्णय दिनांक 12/03/2020

बउनवान

1—गोदा पुत्र जीवन जाति सहरिया निवासी खुशालपुरा तहसील शाहाबाद
2—रामजीलाल पुत्र जीवन जाति सहरिया निवासी खुशालपुरा तह0 शाहाबाद
3—दक्खो बेबा जीवन जाति सहरिया निवासी खुशालपुरा तहसील शाहाबाद जिला बांरा बांरा राज0।

——वादीगण

बनाम

1— नत्थू पुत्र रघुवर जाति सहरिया निवासी खुशालपुरा तहसील शाहाबाद
2— राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार शाहाबाद बांरा(राज0)

———–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 80,89,90,92ए, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक 12/03/2020

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है—

वादीगण ने इस न्यायालय में उक्त उनवानी वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90,92ए,188 राज0 काश्त0 अधि0 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम खुशालपुरा तहसील शाहाबाद में खाता संख्या 140 की आराजी खसरा नम्वर 150/753 रकवा 2.10 बीघा, खसरा नम्वर 155 रकवा 3.10 बीघा, खसरा न0 157 रकवा 2.04 बीघा, खसरा न0 158 रकवा 0.11 बीघा, खसरा न0 160 रकवा 0.02 बीघा, खसरा न0 161 रकवा 9.10 बीघा, एवं खसरा न0 188/761 रकवा 4.18 बीघा कुल किता 7 कुल रकवा 23.05 बीघा तथा ग्राम खुशालपुरा तहसील शाहाबाद के ही खाता संख्या 138 की आराजी खसरा नम्वर 378 रकवा 0.02 बीघा, खसरा न0 380 रकवा 0.17 बीघा, खसरा न0 381 रकवा 9.06 बीघा, खसरा न0 383 रकवा 4.01 बीघा एवं खसरा न0 384 रकवा 3.06 बीघा कुल किता 5 कुल रकवा 17.12 बीघा स्थित है इन आराजियात को दावे में आगे विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है। विवादित आराजियात में से खाता संख्या 140 की आराजी वादी कम 1 व 2 के पितामह एवं वादी कम 3 के ससुर हरिया पुत्र मूला के खाते की रही है हरिया की मृत्यु के उपरान्त नामान्तरकरण संख्या 113 ग्राम खुशालपुरा से हरिया के पुत्र खैरू, रघुवर जीवन के नाम दर्ज कर दी गई तथा खाता संख्या 138 की आराजी वादी कम 1 व 2 के पिता एवं वादी कम 3 के पति जीवन के भाई खैरू

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

Scanned by CamScanner

इस विवाधक को सावित करने का भार प्रतिवादीगण पर है परन्तु प्रतिवादीगण ने अपने कथन के समर्थन में कोई साक्ष प्रस्तुत नही की है इसके विपरीत वादीगण का कथन रहा है कि प्रतिवादी कम 2 सर्वोच्च भूस्वामी होने के कारण वादपत्र में पक्षकार बनाया है। प्रतिवादी कम 1 विवादित आराजियात को अजनबी व्यक्ति को विकय करने पर आमादा है इस ऐसी स्थिति में यदि प्रतिवादी कम 2 को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस देकर उसके समय निकलने का इन्तजार किया गया तो प्रतिवादी कम 1 वादीगण को विवादित आराजियात से बेदखल करने में कामयाव हो जावेंगे इस कारण वादीगण को तुरन्त वादपत्र प्रस्तुत कर न्यायिक साहयता प्राप्त करना आवश्यक हो गया है अतः धारा 80(2) सी.पी.सी. यह वाद प्रस्तुत किया गया है इस तरह यह विवाधक भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिकी जारी की जाती है कि वादीगण को विवादित आराजियात ग्राम खुशालपुरा तहसील शाहाबाद में खाता संख्या 140 की आराजी खसरा नम्वर 150/753 रकवा 2.10 बीघा, खसरा नम्वर 155 रकवा 3.10 बीघा, खसरा न0 157 रकवा 2.04 बीघा, खसरा न0 158 रकवा 0.11 बीघा, खसरा न0 160 रकवा 0.02 बीघा, खसरा न0 161 रकवा 9.10 बीघा, एवं खसरा न0 188/761 रकवा 4.18 बीघा कुल किता 7 कुल रकवा 23.05 बीघा में खैरू के हिस्से 1/3 का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण का हिस्सा 2/3 दर्ज किये जाने तथा ग्राम खुशालपुरा तहसील शाहाबाद के ही खाता संख्या 138 की आराजी खसरा नम्वर 378 रकवा 0.02 बीघा, खसरा न0 380 रकवा 0.17 बीघा, खसरा न0 381 रकवा 9.06 बीघा, खसरा न0 383 रकवा 4.01 बीघा एवं खसरा न0 384 रकवा 3.06 बीघा कुल किता 5 कुल रकवा 17.12 बीघा खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर वादीगण का नाम दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से भी पाबन्द किया जाता है कि वह उक्त विवादित आराजियात को वादीगण को काश्त करने में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वंय करें न अन्यों से करावे। निर्णय आज दिनांक 12/3/2020 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां

Scanned by CamScanner